राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/विविध एनिकट/2019–20/ 25549-59 दिनांक : 24/10/2020

उपायुक्त ,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाड़ा ।

विषय खूंटा–I एम.एस.टी. निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ : अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड बांसवाडा का पत्रांक 1009 दिनांक 22.10.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 9331–38 दि. 13.05.2020 द्वारा खूंटा–I एम.एस.टी. निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम मे अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड बांसवाडा से निम्नलिखित कार्य की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या–7 अनुसार राशि रू. 188.01 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी– जल संसाधन विभाग **(राशि लाखो में)**

क्र.स.	कार्य का नाम	पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त
			क्र/दि	राशि	क्र/दि.	राशि	देय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खूंता प्रथम एमएसटी निर्माण प्रथम .	कुशलगढ़	9331–38 / 13.05.2020	188.89	1/2020-21	188.01	75.00

उपरोक्त कार्य पर स्वीकृत राशि 188.01 लाख के विरूद्व प्रथम किश्त की राशि कॉलम संख्या–8 अनुसार रू. 75.00 लाख की व्यवस्था आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति सं. 50/2018–19 में राशि रू 1200.93 लाख में उपलब्ध बचत से होगी। शेष राशि कार्य की प्रगति के आधार पर हस्तान्तरित की जायेगी। **कार्यो के संपादन मे प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–**

1. यदि स्वीकृत कार्य महानरेगा अथवा अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे एवं अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्वि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर जारी कार्यादेश अनुसार ही कराया जावे एवं किसी भी स्थिति में कार्यादेश से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जावे। **कार्यादेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावे।**
4. राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा में सम्पादित किया जावें। **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।**
5. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावें जिन्हें विभागीय वेब–साईड पर अपलोड किया जा सके।
6. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जायेगी।
7. कार्यकारी एजेन्सी उन्हें उपलब्ध कराई गई राशि की कार्य की प्रगति एवं व्यय अनुसार नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को उपलब्ध करायेगे।

कृ.पृ.उ.

8. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावें।

sd

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)IAS
आयुक्त

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित एनिकट निर्माण /18–19/ 25549-59 दिनांक : 24/10/20

प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा ।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग,उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत बांसवाडा को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य का नियमित निरीक्षण करें।
6. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड बांसवाडा को भेजकर लेख है कि कार्य का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि उपरोक्त कार्य पर स्वीकृत राशि 199.91 लाख के विरूद्व प्रथम किश्त की राशि कॉलम संख्या–8 अनुसार रू. **75.00** लाख आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति सं.50/2020–21 राशि रू 1200.93 लाख में से उपलब्ध बचत में से उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तांतरित करावें।
8. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
9. उप निदेशक (कम्प्यूटर),कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर